सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

## National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. NCST/SER-860/JH/12/2023-SSW                                        Dated: 10/07/2024

To,

श्री संजय श्रीवास्तव
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखंड सरकार,
डोरंडा, वन भवन, रांची-834002(झारखंड)
(Email Id: pccf-jha@gov.in), (Ph No. 0651-2480014)

Sub: अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को वन प्रमंडल पदाधिकारी, जामताडा द्वारा प्रताडित करने के संबंध में - श्री अभिषेक कुमार, आदेशपाल, जामताडा वन प्रमडंल का दिनांक 09.11.2022 का अभ्यावेदन।

महोदय,

I am directed to enclosed herewith copy of the minutes of Sitting held under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 13.06.2024 at 03:40 PM in NCST, New Delhi on the above mentioned subject for information.

Yours faithfully,

(आर.एस.मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
Ph No. 011-24641640

Copy to:-

श्री अभिषेक कुमार,
Q. No. फॉरेस्ट कॉलोनी
ग्राम- बंदरजोड़ी, पो0 – बदरजोदी, थाना- दुमका
जिला दुमका – 814101 (झारखंड)
(Mob No. 8340165500)

Copy for information to:-

1. PS to Hon'ble Member (Dr. A.L), NCST
2. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission.

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 13.06.2024 को 03.40 बजे, होटल बी.एन.आर, चाणक्य, रांची में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा प्रताड़ित करने के संबंध में - श्री अभिषेक कुमार, आदेशपाल, जामताडा (ग्राम व पोस्ट – बंदरजोड़ी, जिला दुमका, झारखंड) के अभ्यावेदन के प्रकरण के संबंध में आयोजित बैठक के कार्यवृत।

फ़ाइल संख्या: NCST/SER-860/JH/12/2023-SSW
दिनांक: 13.06.2024 को 03.40 बजे, स्थान- बी.एन.आर चाणक्य, रांची
प्रतिभागियों की सूची – संलग्नक

श्री अभिषेक कुमार, आदेशपाल, जामताड़ा वन प्रमडंल ने दिनांक 08.08.2022 के अभ्यावेदन में बताया है कि जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर कूडा एवं कमरे की सफाई, झाडू लगाना, पोछा लगाना, बाथरूम एवं नाले की सफाई का आदेश दिया गया जो कि कर्तव्य के अनुरूप नहीं था एवं इस कार्य के लिए बाध्य किया गया। इसके मना करने पर वन प्रमंडल अधिकारी ने कुंडहीत वन क्षेत्र के कार्यालय में स्थानांतरण कर दिया है ।

आयोग ने समसंख्यक नोटिस दिनांक 15.05.2023 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड सरकार, रांची (झारखंड) से तथ्य तथा आख्या भेजने का निवेदन किया गया था, जिनसे उत्तर अप्राप्त था। आयोग ने इस प्रकरण में दिनांक 13.06.2024 को 03:40 बजे रांची में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड और याचिकाकर्ता के साथ चर्चा करने का निर्णय लिया जिसकी सूचना अधिकारी तथा आवेदक को सिटिंग नोटिस तथा पत्र द्वारा दिनांक 04.06.2024 सूचित कर दिया गया।

मुख्य वन संरक्षक, झारखंड सरकार ने पत्र दिनांक 10.06.2024 द्वारा अपने स्थान पर अपर प्रधान वन संरक्षक, झारखंड सरकार को सिटिंग दिनांक 13.06.2024 में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया । आवेदक अनुपस्थित रहे। अपर प्रधान वन संरक्षक, झारखंड, रांची, ने विभाग द्वारा की गयी कार्यवाई की सूचना दी, जिसमें बताया गया कि आवेदक को जामताड़ा से हटा कर, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय दुमका, में कर दिया गया है। अतः विभाग द्वारा कोई कार्यवाई शेष नहीं है।

आयोग ने अपर प्रधान वन संरक्षक, झारखंड सरकार, रांची द्वारा बताई गयी सूचना का अवलोकन किया। जिससे प्रतीत हुआ कि आवेदक के साथ विभाग द्वारा न्याय कर दिया गया है। अतः आयोग द्वारा प्रकरण में आगे की कार्यवाई की आवश्यकता नहीं है एवं प्रकरण को बंद करना उचित होगा।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

Annexure

डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 13.06.2024 को 3:40 बजे, रांची में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा प्रताड़ित करने के संबंध में श्री अभिषेक कुमार, आदेशपाल, जामताड़ा (ग्राम व पोस्ट – बंदरजोड़ी, जिला दुमका, झारखंड) के प्रकरण में उपस्थित अधिकारियों की सूची ।

| | |
|---|---|
| I | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार |
| | Shri Paritosh Upadhyay, ACCF |
| II | आवेदक |
| | श्री अभिषेक कुमार- (बैठक में अनुपस्थित ) |